



Neutral Citation No-2026:AHC:4272

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4617 वर्ष 2025

शशि भूषण राम पांडे याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 14 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: उदय प्रकाश देव पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता और ग्राम सभा के अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"i- परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-2 को गांव लोधी के गांव लोधी, परगना बरहर, तहसील रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र के आराजी संख्या-6का, 6 ख, 6 जीए, 6 घा से संबंधित जोत चकबंदी फॉर्म 45 में की गई धोखाधड़ी प्रविष्टियों की जांच करने का निर्देश दिया जाए, जो फॉर्म 41 के साथ-साथ राजस्व मानचित्र में सड़क के रूप में दर्ज हैं।

ii. जारी करना: परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें प्रतिपक्षियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन्हें अलग न करें या बेचें, या स्थानांतरित न करें और सार्वजनिक सड़क में बाधा उत्पन्न न करें।



iii. प्रतिपक्षी संख्या-2 को परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, वर्तमान लेखपाल के बाहरी लोगों और परिवार के सदस्यों के पक्ष में धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों को रद्द करें, और भूमि को सार्वजनिक सड़क के रूप में अपनी मूल स्थिति में बहाल किया जा सकता है जैसा कि जोत चकबंदी फॉर्म 23, 41(नियम 93- खतौनी का तुलनात्मक विवरण) में दर्ज है, और ग्राम लोधी, परगना बरहर, तहसील रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र के आरजी फाइल संख्या-6, 6के, 6 खा, 6 जीए और 6 घा से संबंधित फॉर्म 45।

iv. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-2 को गांव लोधी के क्षेत्र लेखपाल के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्लॉट संख्या-6 क, 6 ख, 6 ज, 6 घ को सीएच फॉर्म संख्या-41 में सड़क के रूप में दर्ज किया गया है; हालांकि, लिपिकीय गलती के कारण, निजी व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए हैं। गलत प्रविष्टियों के कारण, अभिलेखों किए गए व्यक्ति विचाराधीन भूखंडों पर तीसरे पक्ष के अधिकार बना रहे हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिता भूमि (सड़क) हैं।

4. स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ ग्राम सभा के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता की शिकायत का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 के तहत अभिलेखों के सुधार की कार्यवाही में संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिक उचित रूप से निवारण किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अभिलेखों में सुधार के लिए एक आवेदन करने की अनुमति देने के लिए निर्देश जारी किए जाने की स्थिति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता भू-राजस्व अभिलेखों में किसी भी त्रुटि या चूक के सुधार के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक एक उपयुक्त आवेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र है। यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंततः निपटारा किया जाता है।

जनवरी 8, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)